

फार्म क

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्गों द्वारा प्रस्तुत की जाने किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
श्री/श्रीमती.....ग्राम/नगर.....जिला/मण्डल...

.....राज्य/संघ शासित*

जाति/जनजाति के व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति* के लिए मान्यता प्राप्त हैं:

- * संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950;
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950;
- * संविधान (अनुसूचित जातियों) संघ शासित आदेश, 1951;
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियों) संघ शासित आदेश, 1951;
- [अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन आदेश), 1956 में यथासंशोधित; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966; हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971; संविधान/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976];
- * संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जातियों आदेश, 1956;
- * संविधान (अंडमान & निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976;
- * संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जातियों आदेश, 1962;
- * संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1962;
- * संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जातियों आदेश, 1964;
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1967;
- * संविधान (गोवा, दमन & दीव) अनुसूचित जातियों आदेश, 1968;
- * संविधान (गोवा, दमन & दीव) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1968;
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1970;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियों आदेश, 1978;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1978;
- * संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1989;
- * संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;

#2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवास किए हो के मामले में लागू होगा।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर इन्हें जारी किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी.....के माता/पिता,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....गांव/कस्बा.....जिला/ मण्डल.....राज्य/संघ

क्षेत्र..... जोकि..... जाति/ जनजाति के है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है --

-----राज्य/संघ राज्य में है-----जिसे..... (प्राधिकारी का ना) ने सं.....

दिनांक..... के द्वारा जारी किया है।

श्री/श्रीमती/कुमारी*..... जिनका परिवार आमतौर

पर.....गांव/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य में रहता है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(कार्यालय/राज्य/संघ क्षेत्र की मुहर)

दिनांक:.....

स्थान:.....

नोट: यहां प्रयुक्त निबंधन "आमतौर पर रहता" का वही अर्थ होगा जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20में है।

---जो लागू नहीं हैं उन शब्दों को हटा दें।# जो पैरा लागू नहीं है उसे भी हटा दें।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों की सूची

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कॉलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और अथवा अपने परिवार के साथ सामान्यतः निवास करता हो।

फॉर्म ख

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत की जाने किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री
श्री/श्रीमती.....ग्राम/नगर.....जिला/मण्डल.....
.....राज्य के समुदाय के व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित के तहत
पिछड़ी जाति के लिए मान्यता प्राप्त हैं:

- (i) दिनांक 10 सितंबर 1993 का संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसीआई, दिनांक 13 सितंबर 1993 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या में 186 प्रकाशित
- (ii) दिनांक 19 अक्तूबर 1994 का संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसीआई, दिनांक 20 अक्तूबर 1994 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या में 163 प्रकाशित
- (iii) दिनांक 24 मई 1995 का संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसीआई, दिनांक 25 मई 1995 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या में 88 प्रकाशित
- (iv) दिनांक 9 मार्च 1996 का संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसीआई
- (v) दिनांक 6 दिसंबर 1996 का संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसीआई, दिनांक 11 दिसंबर 1996 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 210 में प्रकाशित
- (vi) दिनांक 3 दिसंबर 1997 का संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी
- (vii) दिनांक 11 दिसंबर 1997 का संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी
- (viii) दिनांक 27 अक्तूबर 1999 का संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी
- (ix) दिनांक 6 दिसंबर 1999 का संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 9 दिसंबर 1999 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 270 में प्रकाशित
- (x) दिनांक 4 अप्रैल 2000 का संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल 2000 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 71 में प्रकाशित
- (xi) दिनांक 21 सितंबर 2000 का संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21 सितंबर 2000 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 210 में प्रकाशित

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार राज्य के
जिला/मण्डल..... में सामान्य रूप से रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-1993 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था. (पंजी.) दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के संशोधित प्रारूप की अनुसूची की तालिका 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

मुहर सहित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप-आयुक्त का हस्ताक्षर

दिनांक:.....

स्थान:.....

एनबी: (क) यहां शब्द "ऑर्डिनरिली" का इस्तेमाल वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है

- (v) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कॉलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- (vi) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (vii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।
- (viii) उस क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और अथवा अपने परिवार के साथ सामान्यतः निवास करता हो।